न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1674-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.03.2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला सिवनी प्रकरण क्रमांक 8/अ-21/2014-15

श्रीमती कंचना पत्नी गंगा प्रसाद देशमुख
उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी- ग्रा. व पो. टुरिया
थाना व तहसील कुरई जिला सिवनी (म.प्र.) .....**आवेदिका**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जिला सिवनी (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा
अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(आज दिनांक 19/6/18 **पारित)**

यह निगरानी कलेक्टर जिला सिवनी प्रकरण क्रमांक 8/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम कोहका स्थित भूमि खसरा नं. 361/1, 369, 373, 382 एवं 386/1 रकवा क्रमश: 1.37, 2.50, 0.240, 0.17 एवं 0.02 कुल रकवा 4.30 हे. भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदाय करने हेतु कलेक्टर सिवनी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर सिवनी ने अपने आदेश दिनांक

07.05.2015 द्वारा सशर्त अनुमति प्रदाय की गई। जिसकी शर्त क्रमांक-2 को विलोपित किए जाने हेतु पुर्नविलोकन प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया जाकर कलेक्टर सिवनी ने अपने आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विद्वान कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में यह विधि की गंभीर भूल की है, क्योंकि कलेक्टर द्वारा आवेदिका को उक्त भूमि का विक्रय करने की अनुमति तो प्रदान की गई है, परंतु आदेश की शर्त क्रमांक 2 के अनुसार विक्रय केवल अधिसूचित क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों को ही करने का उल्लेख किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति आवेदिका की उक्त भूमि को उक्त भूमि को उचित दर से खरीदने में असमर्थ है एवं आवेदिका को म0प्र0 शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के आधार पर प्राप्त नहीं हो पा रही है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदिका द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु अनेक व्यक्तियों से संपर्क किया गया, परंतु अधिसूचित क्षेत्र में निवासरत कोई भी व्यक्ति अभी तक म0प्र0 शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के आधार पर भूमि का मूल्य देने को तैयार नहीं है। आवेदिका एवं उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर 60 लाख से अधिक राशि का बैंक एवं सेवा सहकारी संस्था आदि का कर्जा है।

यह भी कहा गया है कि जिलाध्यक्ष द्वारा तकनीकि आधार पर आवेदिका का आवेदन निरस्त किया गया है, उन्होंने संहिता की धारा 51 (1) में उन्हें प्रावधान न होने के कारण आवेदिका का आवेदन निरस्त किया है, जबकि न्यायहित में उन्हें राजस्व मण्डल को पुनरावलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण भेजना चाहिए था, जो न भेजने में भी विधि की गंभीर भूल की गई है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2015 की शर्त क्रमांक-2 को विलोपित किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर सिवनी द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने के संबंध में आदेश दिनांक 7-5-15 द्वारा जो शर्तें अधिरोपित की हैं वह आवेदिका के हित को देखते हुए औचित्यपूर्ण प्रतीत होती हैं । जहां तक उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा आवेदिका के हित को ध्यान में रखते हुए पुनरावलोकन आवेदन को भी निरस्त किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर